कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 1120 दिनांकः– 02/11/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **ग्राम–बोंड़ा, थाना–हंटरगंज–133, खाता नं0–85 प्लॉट नं0–40 पर 132/3 के0वी0 ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के संबंध में।**

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 2717 दिनांक 19.07.2019, पत्रांक 928 दिनांक 16.03.2020 एवं पत्रांक 2312 दिनांक 16.08.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु भारत सरकार के पत्रांक FP/JH/Substation/39837/2019/3249 दिनांक 28.06.2019 के आलोक में CA हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का नक्शा (DGPS, KML सहित) अनापति प्रमाण–पत्र, उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं CA की योजना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

विभाग द्वारा की गयी पृच्छा के आलोक में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 762 दिनांक 15.10.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अपयोजन हेतु प्रस्तावित 4.04 हे0 वनभूमि के विरूद्ध CA हेतु चिन्हित 8.08 हे0 गैर वनभूमि (जंगल–झाड़ी) उपलब्ध कराया गया है जिसकी विस्तृत विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना / थाना नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा हे0 में	किस्म भूमि
1	चतरा उतरी	नावाडीह पनारी एवं केवाल	हंटरगंज / 20 एवं 272	567 (P) एवं 126 (P)	8.08 हे0	गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी

CA हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का नक्शा (DGPS, KML सहित) अनापति प्रमाण–पत्र, उपयुक्तता प्रमाण–पत्र एवं CA की योजना संलग्न है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु **4.04 हे0** वन भूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I की स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) झारखण्ड राँची का संचिका में अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

02.11.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

1.11.22

कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 762 दिनांक – 15/10/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

कैमुद्दीन मियाँ

बंजर भूमि विकास बोर्ड
2897
28/10/2022

विषय– चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज, मौजा–बोड़ा, थाना– हंटरगंज–133, खाता नं0–85, प्लॉट नं0–40 पर 132/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के विरूद्ध दुगने 8.08 हे0 जंगल झाड़ी भूमि पर क्षतिपुरक वनरोपण करने हेतु चिन्हित स्थल का प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक 288 दिनांक 20.04.2020 एवं पत्रांक 754 दिनांक 04.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयक सब स्टेशन निर्माण हेतु अपयोजित होने वाले 4.04 हे0 वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि चिन्हित कर भूमि क नक्शा (DGPS KML सहित), अनापत्ति प्रमाण पत्र, उपयुक्ता प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी जिसके आलोक में अपयोजित होने वाले वनभूमि के दुगने क्षेत्र 8.08 हे0 गैरमंजरूआ जंगल झाड़ी भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण कराने हेतु प्रस्ताव वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल ने अपने पत्रांक 1788 दिनांक 23.09.2022 द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

1. मौजा नावाडीह पनारी, थाना संख्या–हंटरगंज–20, प्लॉट संख्या–567 (अंश) रकवा–5.78 हे0 (जंगल झाड़ी) का चिन्हित किया गया नक्शा, DGPS Map, Geo-Reference Map, Kml File, Topo Map संलग्न है।
2. मौजा केवाल, थाना संख्या–हन्टरगंज–272, प्लॉट संख्या– 126(अंश) रकवा–2.30 हे0 (जंगल झाड़ी) का चिन्हित किया गया नक्शा DGPS Map, Geo-Reference Map, Kml File, Topo Map संलग्न है।
3. उक्त दोनों मौजा का उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत अतिक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र (Encumberence Free Cetificate) संलग्न है।
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित क्षतिपुरक वनरोपण योग्य प्रमाण पत्र (Suitability Certificate) संलग्न है।
5. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दस वर्षीय प्राक्कलन (रू0 69.65,100.00) की प्रति संलग्न है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल द्वारा समर्पित प्रस्ताव की छः प्रतियॉ सी0डी0 सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

15/10/22

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

15/10/22